न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3137–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–08–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 155/2012–13/अपील

.....

राकेश गर्ग पुत्र श्री बद्रीप्रसाद गर्ग
निवासी रोशनीघर के पीछे इंदरगंज चौराहा के पास,
लश्कर ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा,
निवासी ए0बी0रोड, मेहन्दीवाले सयैद के पास,
हारकोटा सील, गोल पहाडिया, लश्कर
ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 6/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कोटा लश्कर परगना व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1016 का भाग रकबा एक बीघा अर्थात् 0.209 हेक्टेयर उसके द्वारा अनावेदक

से दिनांक 21–11–1997 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 60/07–08/अ–6 दर्ज कर दिनांक 13–1–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–10–2012 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–8–15 को आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश दिनांक 14–12–10 के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन भूमि जिस व्यक्ति के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थी, उसी व्यक्ति के नाम दर्ज रखते हुये यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, इसलिये उसका नामान्तरण करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है और तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामान्तरण के संबंध में यथास्थिति के आदेश नहीं दिये गये हैं, बल्कि स्वत्व के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में दिनांक 14–12–2010 की स्थिति कायम रखने में पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में अभी अपील लंबित है, इसलिये भी अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन भूमि कय करने के 10 वर्ष पश्चात् नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर तहसीलदार का आदेश

अवैधानिक माना है, जबकि संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत यदि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब सक्षम अधिकारी विलम्ब क्षमा कर सकते है और पेनल्टी लगाकर नामान्तरण कर सकते हैं, इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पंजीकृत विकय पत्र की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा जिस विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह संदिग्ध है क्योंकि वर्ष 1997 में आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि कय किये जाने के पश्चात् वर्ष 2007 में 10 वर्ष पश्चात् नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि उन्हें 6 माह के भीतर नामान्तरण की कार्यवाही करना चाहिये थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14–12–2010 को स्थगन आदेश पारित करते हुये यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं और तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण करने से प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व प्रभावित होंगे, इससे माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना होगी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के प्रकाश में आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने को कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

तर्क के समर्थन में 2007 आरएन 82 एवं 2009 आरएन 345 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की विधिवत्

विवेचना की जाकर उसके प्रकाश में आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 14–12–2010 की स्थिति में अनावेदक का नाम दर्ज करते हुये यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश देने में अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–08–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर